

प0स0-3/6/2014- स्मा0  
भारत सरकार  
कार्यालय अधीक्षण पुरातत्वविद्  
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण  
आगरा मण्डल, 22 माल रोड, आगरा

सेवा में,  
जिलाधिकारी  
आगरा

दिनांक: 07 AUG 2018

विषय :-राष्ट्रीय संरक्षित स्मारकों में प्रवेश शुल्क में नकद रहित भुगतान एवं नकद भुगतान शुल्क अदा हेतु अधिसूचना के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि भारत के राजपत्र असाधारण भाग-खण्ड 11-खण्ड 3, उप-खण्ड(i) प्राधिकार से प्रकाशित सं0 528 नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 1, 2018/श्रावण 10,1940 संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अधिसूचना नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2018 (छायाप्रति संलग्न) जोकि राष्ट्रीय संरक्षित स्मारकों में प्रवेश शुल्क के नकद रहित भुगतान एवं नकद भुगतान हेतु शुल्क निर्धारित किया गया है। उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार प्रवेश शुल्क के नकद रहित भुगतान एवं नकद भुगतान हेतु निर्धारित शुल्क दिनांक 08.08.2018 से लागू किया जायेगा।

अतः आग्रह है कि उपरोक्त अधिसूचना की प्रति इस आशय के साथ संलग्न की जा रही है कि अधिसूचना सभी कार्यालयों को प्रसार- प्रसार हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


संलग्नक- यथोपरि

भवदीय,

  
अधीक्षण पुरातत्वविद्

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. मण्डलायुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।
2. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा।
4. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, आगरा।
5. नगर आयुक्त, नगर निगम आगरा।
6. उप उद्यानविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उद्यान शाखा, पूर्वोद्धार ताजमहल, आगरा।
7. क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर प्रदेश पर्यटन, 64 ताज रोड, आगरा।
8. सम्पादक, दैनिक जागरण/हिन्दुस्तान/अमर उजाला/सी एक्सप्रेस/डीएलए
9. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई, आगरा
10. क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी, उत्तर प्रदेश पुरातत्व, सकेत कालोनी, शाहगंज, आगरा।
11. वरिष्ठ संरक्षण सहायक/संरक्षण सहायक, ताजमहल/आगरा किला/फतेहपुर सीकरी/सिकन्दरा/एत्माद-उद-दौला

  
अधीक्षण पुरातत्वविद्